समाहर्त्ता, हुसैनाबाद, पलामू   लल्लु सिंह वगैरह
बनाम
असरफ अंसारी वगैरह ..द्वितीय

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १९४१ का नियम २२९)

ता... तारीख ... से ... तक ... 0

सं० 07 सन् 2011 । 6

रकबा सुधार वाद 6

आदेश की क्रम और तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
.2011	एक आवेदन लल्लु सिंह वगैरह ग्राम सोबा पोस्ट करिमडीह थाना हैदरनगर जिला पलामू ने नामान्त्रण वाद संख्या 127/06-07 दिनांक 2.06.2006 में पारित आदेश जिसमें खाता नं० 28 प्लौट नं० 76 ग्राम बभन्डी थाना हैदरनगर का रकबा 2-1/2- डी० को सुधार करके 1-1/14 डी० किये जाने आवेदन दायर किया है। उक्त आवेदन के आलोक में आवेदक का कागजात के अवलोकन के पश्चात् संतुष्ट होने के पश्चात् सुनवायी हेतु दिनांक 14/10/11 को रखें। (ह०) 28/9/11 भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता हुसैनाबाद, पलामू	8-12-17 27.12.17 07.03.18 25.04.18 ~~18.08.18~~ 26.09.18
14/10/11	प्रथम पक्ष का वकालतनामा हाजरी। प्रतिवादी अनुपस्थित दिनांक 4/11/11 को रखें। (ह०) 14/10/11 भू० सु० उपसमाहर्त्ता हुसैनाबाद	P.N. 183 / 05.7.23
23/11/11	... अनुपस्थित। दिनांक 23/11/11 को ... आवेदक का वकालत... दिनांक 9/12/11 को रखें। भू० सु० उपसमाहर्त्ता हुसैनाबाद	
9/12/11	...वादी अनुपस्थित। आवेदक का वकालतनामा हाजरी। प्रतिपक्षी अनुपस्थित दिनांक 28/12/11 को रखें। (ह०) 9.12.11 भू० सु० उपसमाहर्त्ता	

आदेश - पत्रक
(2)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई करवाई
15.12.21	[illegible] उपस्थित। आवेदक की ओर से [illegible] [illegible]। आदेशार्थ। 15/12/21	

न्यायालय – भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

लल्लू सिंह वगै० ——— आवेदक

बनाम

अशरफ अंसारी वगै० .... प्रतिवादी

Schedule XIV Form No- 562

1/2

See Rule 129 Of THE RECORD MANNUAL, 1941

विविध वाद संख्या – 07/2011(रकबा सुधार से सम्बंधित)

of order of Proceding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date
1	2	3
15-12-2021	**आदेश** यह वाद आवेदक लल्लू सिंह वगै० के आवेदन पर आरम्भ हुआ। आवेदक लल्लू सिंह वगैरह ग्राम – सोबा, पोस्ट करीमनडीह, थाना – हैदरनगर, जिला पलामू ने नामांतरण वाद संख्या 127/2006-07 में पारित आदेश जिसमे खाता नंबर 28, प्लाट नंबर 76 ग्राम – बभनडीह, थाना – हैदरनगर का रकबा 2 ½ डेसिमिल को सुधार कर 1 1/14 डेसिमिल किये जाने का आवेदन दायर किया है। आवेदकगण का कहना है कि उनकी माता मानकुंवर देवी ने केवाला संख्या 266 दिनांक 28-12-1978 के द्वारा विश्वनाथ राम से खाता नंबर 28 प्लॉट नंबर 76 रकबा 7 2/3 डिसमिल खरीद किया तथा भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहे। उनकी माता मानकुंवर देवी के निधन के पश्चात उनके पुत्र , पुत्रियों, लल्लू सिंह वगै० उत्तराधिकारी के रूप में उक्त भूमि को हासिल किए। अंचल अधिकारी ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद संतुष्ट होकर नामांतरण स्वीकृत करते हुए रसीद निर्गत करने का आदेश दिया। तदनुसार प्रश्नगत भूमि पर आवेदक काबीज रहे एवं रसीद हासिल किये। कालांतर में आपसी समझौते के अनुसार बंटवारे में मानकुंवर देवी के सभी 3 पुत्र एवं 4 पुत्रियों के मध्य आपसी सुलह के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार को एक 1 1/14 डिसमिल जमीन प्राप्त हुआ। कुछ समय के बाद,दशरथ सिंह, जो एक हिस्सेदार थे, उनके निधन के पश्चात उनकी पत्नी अनराज देवी ने आपसी समझौते को नजरअंदाज करते हुए, बदनीयती से केवाला संख्या 13315 दिनांक 14-12-2014 के द्वारा उक्त प्लाट संख्या 76 खाता संख्या 28 में 1 1/14 डिसमिल हिस्सा होने के बावजूद 2 1/2 डिसमिल जमीन बिक्री कर दिया जो सरासर अन्य हिस्सेदारों का हिस्सा हड़पने का प्रयास है। नामांतरण करते समय अंचल अधिकारी के द्वारा इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि विक्रेता ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बिक्री किया है। आवेदक का कहना है कि विपक्षी का नामांतरण मात्र 1 1/14 डिसमिल का होना चाहिय जबकि नामांतरण 2 1/2 डिसमिल जमीन का कर दिया गया है। इसलिए विपक्षी के खाता संख्या 28, प्लाट संख्या 76 से रकबा 2 ½ डी० के बदले सुधार कर 1 1/14 डी० किया जाए। प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर अनराज कुंवर पति स्वर्गीय दशरथ सिंह का संपूर्ण हक, दखल कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार स्थापित था, जिस पर एक कमरा 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा बना हुआ था, जिस पर अनराज कुंवर दाखिल काबिज थे और अनराज कुंवर ने साबिक खाता नंबर 28 साबिक प्लॉट नंबर 76 रकबा 2.5 डिसमिल भूमि के साथ साथ खपरैल, बांस, चौखट समेत सभी सामग्री को प्रतिवादी के पक्ष में निबंधित विक्रय पत्र संख्या 3315 दिनांक 14-12-2004 को बिक्री कर दिया, जिसके आधार पर क्रेतागण (प्रतिवादी) इस अपीलवाद की भूमि पर दखल कब्जे में आए तथा नामांतरण के पश्चात प्रतिवादीगण का नाम ग्राम बाभनडीह के मांग पणजी के पेज नंबर 105/iii पर दर्ज किया गया और प्रतिवादीगण सरकार को मालगुजारी देखकर सरकारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। ऑनलाइन मांग पंजी में भी प्रतिवादिगण का नाम दर्ज किया गया है और प्रतिवादिगण इस अपिलवाद की भूमि पर दखल कब्जे में है तथा इसपर प्रतिवादिगण का मकान अवस्थित है जिसपर	

प्रतिवादिगण खरीदगी के दिन से निर्विवाद शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। इस वाद की भूमि से आवेदक लल्लू सिंह का कभी कोई सरोकार नहीं रहा है तथा इस वाद की भूमि पर आवेदक लल्लू सिंह का दावा निराधार है।

इसप्रकार, आवेदक के द्वारा प्रतिवादी के नामांतरण के विरुद्ध यह विविध वाद दायर किया है। दाखिल खारीज आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। आवेदक ने समय सीमा के अंतर्गत अपील दायर नहीं कर, लम्बे समय के बाद विविध वाद दायर किया है। दाखिल खारिज से कायम ज़माबंदी को विविध वाद से सुधारा नहीं जा सकता है। आवेदक का दावा है कि विपक्ष के बिक्रेता अनराज कुंवर ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बिक्री कर दी है। आवेदक का दावा वस्तुत: हक़ हिस्सा से सम्बंधित है जिसपर निर्णय इस न्यायालय में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का दावा भूमि के स्वत्व / मालिकाना हक से संबंधित है। अत: पक्षकार यदि चाहे तो इसके समाधान हेतु सक्षम न्यायलय में जा सकते हैं।

इस आदेश के साथ अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

15/12/21
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

15/12/21
भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2024.07.13 13:14:54 +05:30
Location: 192.168.31.45